24/5/18

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। वकील फरियादी व अनावेदकों के पेश हुए। RAA नागौर के निर्णय की प्रति पेश की। RAA नागौर के निर्णय अनुसार राजस्व वाद सं. 68/2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13/5/2015 को निरस्त किया गया था। इस में उक्त वाद निरस्त होने से वाद का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner